



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ inp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/ 953 /डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 03 /05/2014

प्राचार्य/संचालक
संस्था तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल,
बायपास रोड़, अयोध्या नगर, भोपाल
जिला-भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।


संदर्भ:- 1) आपका पत्र क्र.-टी.बी.पी./614, दिनांक 28.04.2014
2)विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-740/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

---//---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के बिन्दु क्र.-01 के जवाब में आपके द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 28.04.2014 प्रस्तुत कर संस्थान में नियुक्त शिक्षको की शिक्षक प्रोफाईल संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरोपरान्त प्रस्तुत की गई है। आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.04.2014 निम्न कारणों से मान्य योग्य नहीं है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबधन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसो जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दो यूनिट के संचालन हेतु संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 07.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 03 / 05 / 2014

पृष्ठांकन क्र./१८५ / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse (@) mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय - (0755) 2551650, 2761507 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/१६१/डी.एड.सेल/२०१४
प्रति,

भोपाल, दिनांक ३/०५/२०१४

प्राचार्य/संचालक
श्री चौहान इस्टी. ऑफ एज्युकेशन
खसरा नंबर १२८ ग्राम सनखेडी पोस्ट कोलार
तहसील भोपाल जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र २०१४-१५ संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।

संदर्भ:- मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-८५६/डी.एड.सेल/२०१४ दिनांक १६.०४.२०१४
-----/ /-----

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक १६.०४.२०१४ के अनुक्रम में आपकी संस्थान द्वारा आज दिनांक तक जवाब मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया गया जबकि मण्डल द्वारा उक्तानुसार प्रेषित पत्र मण्डल वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराया गया है।

१. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक ३१.०८.२००९ के बिन्दु क्र.-०९ में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबंधित प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
२. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक १२.०१.२०१२ में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-०२ में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
३. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-२७६/१२ में पारित आदेश दिनांक १२.१२.२०१२ में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबंधिता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।

उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि वह संस्थान को संबद्धता देने के पूर्व यह सुनिश्चित कर ले कि संस्थान में एन.सी.टी.ई. के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र.-08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 07.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।




सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 3 / 05 / 2014

पृष्ठांकन क्र./962/ डी एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650, 2731567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक/१५६ /डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 30/04/2014

प्राचार्य/संचालक
भीम राव रामाराव अम्बेडकर कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
जामठी,
जिला-बैतूल (म.प्र.)-460001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की पूर्ति विषयक अंतिम सूचना पत्र।


संदर्भ:- 1) आपका पत्र क्र.-डी.एड./79/बैतूल दिनांक 29.04.2014
2) विषयान्तर्गत मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित सूचना पत्र क्र.-862/डी.एड.सेल/2014 दिनांक 16.04.2014

---/ /---

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन हो। मण्डल द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र दिनांक 16.04.2014 के बिन्दु क्र.-01 के जवाब में आपके द्वारा प्रेषित उत्तर दिनांक 29.04.2014 प्रस्तुत कर लेख किया गया है कि मण्डल द्वारा जारी निर्देश दिनांक 22.02.2014 में केवल नवीन डी.एड. संस्थानों को स्टाफ सिलेक्शन के निर्देश दिये गये हैं। आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 29.04.2014 निम्न कारणों से मान्य योग्य नहीं है।

1. एन.सी.टी.ई. द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 31.08.2009 के बिन्दु क्र.-09 में स्पष्ट उल्लेख है कि संस्थान संबन्धन प्रदान करने वाले निकाय द्वारा यथा अनुमोदित संकाय सदस्यों की सूची क्षेत्रीय समिति को भेजेगा।
2. राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा जारी आदेश दिनांक 12.01.2012 में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि एन.सी.टी.ई. के प्रावधान एवं वर्तमान मापदण्ड के अनुसार ही प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय अपने क्षेत्र अन्तर्गत संचालित अशासकीय संस्थाओं के स्टाफ सिलेक्शन का कार्य एवं स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करेंगे। उक्तानुसार जारी निर्देश के बिन्दु क्र.-02 में स्पष्ट है कि किसी जिले के अशासकीय डी.एड. कॉलेज के स्टाफ चयन से संबंधित कार्यवाही स्टाफ सूची का प्रमाणीकरण करने के लिये उस जोन के प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय सक्षम अधिकारी होंगे जिसमें वह जिला सम्मिलित है।
3. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा याचिका क्र.-276/12 में पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में परीक्षा निकायों को निर्देशित किया गया है कि संबद्धता प्रदान करने के पूर्व परीक्षा निकाय द्वारा संस्थान में पाठ्यक्रम को पूर्ण करने एवं एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों का पालन किये जाने विषयक शर्तें निर्धारित कर सकता है।


उक्त आधार पर परीक्षा निकाय होने की हैसियत से मण्डल का यह दायित्व बनता है कि यह संस्थान का संबद्धता दन क पूव यह सुनारयत कर ल। क संस्थान म एन.सा.टा.इ. क। नधारत मापदण्डों के अनुरुप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने हेतु पर्याप्त शैक्षणिक स्टाफ उपलब्ध हैं। अशासकीय डी.एड. संस्थाओं में शैक्षणिक स्टाफ की नियुक्ति एवं नियुक्त स्टाफ की फोटो युक्त सूची के प्रमाणीकरण हेतु प्राचार्य शासकीय शिक्षा महाविद्यालय को एस.सी.ई.आर.टी. द्वारा अधिकृत किया गया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.12.2012 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। जिसके पालन में मण्डल द्वारा भी संबद्धता संबंधी निर्देश दिनांक 22.02.2014 के बिन्दु क्र. 08 में संबद्धता प्रदान करने हेतु अंतिम तिथि 10 मई निर्धारित की गई है। अतः अंतिम रूप से सूचित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार दो यूनिट के संचालन हेतु, संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नात्कोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 05.05.2014 तक मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि तक उक्तानुसार कमीपूर्ति न किये जाने पर यह मान लिया जावेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नहीं कहना है एवं ऐसी स्थिति में मण्डल द्वारा एकतरफा कार्यवाही करते हुये आपकी संस्था को प्रदत्त मण्डल की संबद्धता आगामी सत्र 2014-15 से समाप्त कर दी जावेगी।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 30/04/2014

पृष्ठांकन क्र./14) / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

1. क्षेत्रीय निदेशक, एन.सी.टी.ई., मानस भवन श्यामला हिल्स भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जारी अंतिम सूचना पत्र की तामील सुनिश्चित कर संस्था से प्राप्त पावती निर्धारित दिनांक के पूर्व मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत की जाना सुनिश्चित करें।



सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 790 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
एस.जी.एस. कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-15/1, 144, कोलार रोड,
हिनोतिया आलम, पो. ऑफिस कोलाररोड, तह. हुजूर
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462042

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य एवं अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 791 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्या - (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551439, 2552761

क्रमांक / 778 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
रामदयाल गेंदा बाई शिक्षा महाविद्यालय
ग्राम मालीखेड़ी पोस्ट नीलवड़ तह. हुजुर
जिला भोपाल (म.प्र.)-462003

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुंटेपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दरतावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव एवं संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित सूची संलग्न की गई है जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 779 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 780 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
कोलार शिक्षा महाविद्यालय,
प्लॉट नं.-203, कोलार रोड़, ग्राम बंजारी,
पो. कोलार रोड़, तह. हुजूर
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462042

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था अध्यक्ष द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवही दी जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 781 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 774 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
भोपाल डिग्री कॉलेज, 393
अशोक बिहार, अशोकागार्डन, भोपाल,
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462023

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. कार्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर प्राचार्य संकुल केन्द्र प्रभारी शासकीय नवीन उमावि लक्ष्मी मण्डी, अशोका गार्डन, भोपाल द्वारा सत्यापित छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि स्पष्ट नहीं है। उक्त सूची में कहीं भी प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल की पदमुद्रा अथवा हस्ताक्षर अंकित नहीं हैं। अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त मूल स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 775 / डी.एड.सेल / 2014

प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 768 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014


प्राचार्य / संचालक
तीरथ इंस्टी. प्लॉट नम्बर 20/3
बंगरसिया रोड ग्राम दीपड़ी पोस्ट बंगरसिया
तह. हुजुर जिला भोपाल (म.प्र.)-462026

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 03.03.2014 एवं 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की अस्पष्ट छायाप्रति संलग्न की गई है, जिसमें शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य की पदमुद्रा एवं हस्ताक्षर नहीं हैं साथ ही संस्था द्वारा 50 विद्यार्थियों के अतिरिक्त इंटेक हेतु एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप नियुक्त शैक्षणिक स्टाफ की प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 769 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 762 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
वैदिका कालेज ऑफ एज्युकेशन
487 / 1 गांधी नगर हुजुर भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)-462036

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य एवं संचालक के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची की संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 763 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 764 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
कलावती स्मृति कॉलेज सीहोर,
अवध पुरी कॉलोनी, सीहोर
जिला-सीहोर (म.प्र.)-466001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर व्याख्याता डाईट सीहोर के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 765 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mphse @ mje .nic.in वेब साइट : www.mpb.e.nic.in
☎ : काशी - (0755) 25516 0, 2761567 फौरा - (756) 2551499, 2552061

क्रमांक / 758 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
गुरुदेव श्री विद्यासागर महाविद्यालय,
स्व. रेखबदास जैन मेमो. एज्युकेशन सोसायटी
पटवारी हल्का नम्बर 48 ग्राम तामोरिया
जिला विदिशा (म.प्र.)-464001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर डाईट विदिशा के व्याख्याता द्वारा सत्यापित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 759 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551499, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 752 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
अखिल भारतीय शिक्षा एवं प्रशिक्षण महाविद्यालय
प्लॉट नम्बर 413-414 ग्राम खरपा गैरट रातीबड
तह. हुजुर जिला भोपाल (म.प्र.)-462044

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 11.02.2014 एवं 24.02.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा मण्डल से नवीन सम्बद्धता/नवीनीकरण संबंधित निर्धारित आवेदन प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त प्रपत्र मण्डल की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
2. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है। किन्तु संस्था द्वारा बी. एड. पाठ्यक्रम से संबंधित बरकतउल्ला विश्वविद्यालय द्वारा सत्यापित प्राचार्य श्रीमती ममता बी. जैन की सत्यापित सूची संलग्न की गई है जो कि गान्य नहीं है।
3. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित आवेदन-पत्र के प्रारूप पर समस्त जानकारी दर्ज कर एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में वर्तमान में नियुक्त प्राचार्य की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची एवं मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति-न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 753 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 746 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
एन.ई.एस. कालेज ऑफ एज्युकेशन
एस.एन.जी. स्कूल के पास होशंगाबाद
जिला होशंगाबाद (म.प्र.)-461001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर प्राचार्य डाईट पचमढ़ी द्वारा सत्यापित स्टाफ सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 747 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 740 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
तिरुपति बालाजी पब्लिक स्कूल
बायपास रोड अयोध्या नगर भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निर्दिष्ट दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 741 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 826 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक

सेवियर कालेज ई-7 / 359 अरेरा कालोनी भोपाल

जिला भोपाल (म.प्र.)-462016

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।

संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरान्त निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिखा जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 821 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse@mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
फैक्स : भोपाल - (0755) 2551050, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 818 / डी.एड.सेल/2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य/संचालक
द ग्रंथम कालेज ऑफ एज्युकेशन
सांची रोड विदिशा जिला विदिशा (म.प्र.)-464001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ण विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची जमा की गई है जो कि मान्य नहीं है।
2. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में वर्तमान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची एवं मण्डल द्वारा निर्धारित संबद्धता संबंधी आवेदन पत्र के विन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 819 / डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ण विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 808 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
मान सरोवर कॉलेज,
मान सरोवर कॉम्प्लेक्स,
बीमा कुंज के सामने, कोलार रोड़, भोपाल
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462042

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 06.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।
अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 809 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार त्रुटिपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 804 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
श्रीराम कॉलेज पंजाब नेशनल बैंक
पुरानी शाखा भवन के सामने नेहरू नगर भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)-462003

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव द्वारा हस्ताक्षरित शिक्षक सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 805 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 798 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान
45 वैशाली नगर कोटरा सुल्तानाबाद भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)-462003

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है। अतः निर्देशित किना जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 799 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551499, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 862 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
भीमराव रामाराव अम्बेडकर कालेज
ऑफ एज्युकेशन जामठी
जिला बैतूल (म.प्र.)-460001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर प्राचार्य डाईट बैतूल द्वारा अनुमोदित स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 863 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 860 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
स्वामी विवेकानंद कालेज ऑफ प्रोफेशनल
स्टडीज अवधपुरी कालोनी
सीहोर जिला सीहोर (म.प्र.)-466001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर व्याख्याता डाईट सीहोर के हस्ताक्षर युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 861 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 856 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्री चौहान इंस्टी. ऑफ एज्युकेशन
खसरा नम्बर 1:18 ग्राम सनखेडी
पोस्ट कोलार तह. भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 08.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ दो स्टाफ सूची संलग्न की गई हैं प्रथम स्टाफ सूची जिसमें शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य के हस्ताक्षर हैं उक्त सूची में प्राचार्य एवं शिक्षकों की नियुक्ति सन् 2010 में की गई थी जबकि एक अन्य सूची जोकि संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित है उक्त सूची प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल के हस्ताक्षर एवं पद मुद्रा अंकित नहीं है। एक सूची में प्राचार्य श्रीमती पद्मा मिश्रा एवं अन्य व्याख्याता के नाम दर्ज है किन्तु एक सूची में प्राचार्य का नाम श्रीमती ऋचा दुबे अंकित होने के साथ ही प्रथम सूची से भिन्न अन्य व्याख्याताओं के नाम दर्ज हैं। संस्था द्वारा प्रस्तुत उक्तानुसार सूचियों से यह स्पष्ट नहीं होता है कि वर्तमान में संस्थान में कौन प्राचार्य एवं व्याख्याता पदस्थ है जिनकी नियुक्ति एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप प्राचार्य शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय भोपाल द्वारा की गई है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में वर्तमान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।



सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 857 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।


सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



क्रमांक / 868 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य/संचालक
राधा कृष्ण कालेज ऑफ एज्युकेशन
खसरा नम्बर 864 रातीबड़ सिकन्दराबाद रोड
ग्राम कोडिया, टीलाखेड़ी पोस्ट एवं तह. हुजुर भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है।
2. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्व यनरत् विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची एवं मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल
भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 869 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर-निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
☎ : कार्यालय - (0755) 2551650, 2761567 फॉक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 866 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
इंटेलीकॉन कालेज ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज
प्लॉट नम्बर 778/1 ग्राग खरपा
पोस्ट झगरिया खुर्द तह. हुजुर
जिला भोपाल (म.प्र.)-462044

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 07.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तवेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 867 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 864 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
भाभा कॉलेज ऑफ एज्युकेशन,
एन.एच.-12, ग्राम जाटखेड़ी, होशंगाबाद रोड़,
भोपाल जिला-भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबंधिता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबंधिता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबंधिता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

पृष्ठांकन क्र. / 865 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



क्रमांक / 872 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति.

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
मिलेनियम एज्युकेशन डेवलेपमेन्ट सोसायटी,
मिलेनियम केम्परा नाथू बड़खेड़ा रोड, नीलबड़,
भोपाल जिला-भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

--- / / ---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 873 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

कार्यालय : (0755) 2551650, 2781567

फैक्स -- (0755) 2551439, 2552081

क्रमांक / 876 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक

लाल बहादुर शास्त्री व्यवसायिक अध्यापन महाविद्यालय
एल.बी.एस. कालेज कैम्पस हंडिया रोड हरदा
ज़िला हरदा (म.प्र.)-461331

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 04.03.2014

—//—

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत् विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं।

अतः निर्देशित किया जाता है कि मण्डल द्वारा निर्धारित सम्बद्धता संबंधी आवेदन पत्र के बिन्दु क्रमांक 11 अनुसार छायाचित्र दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 877 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय - (0755) 2551050, 2701567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552061

क्रमांक / 880 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

प्राचार्य / संचालक
श्री इन्स्टीट्यूट ऑफ टीचर्स एज्युकेशन,
प्लॉट नं.-478 / 1, गोदर मउ
गांधी नगर, तह. हुजूर
जिला-भोपाल (म.प्र.)-462036

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

— / / —

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित स्टाफ सूची की प्रति संलग्न की गई है, जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक / 6 / 04 / 2014

पृष्ठांकन क्र. / 881 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल

ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in

☎ : कार्या- (0755) 2551650, 2761567 फ़ैक्स - (0755) 2551499, 2552081

क्रमांक / 886 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
ए.डी.एस. ग्रुप ऑफ कालेज
खसरा नम्बर 113/1 ग्राम तारा सेवनिया
एयरपोर्ट रोड गांधी नगर भोपाल
जिला भोपाल (म.प्र.)

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

---//---

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. संस्था द्वारा आवेदन पत्र के साथ शासकीय शिक्षा स्नातकोत्तर महाविद्यालय के प्राचार्य द्वारा सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची की छायाप्रति संलग्न नहीं की गई है। उक्त के स्थान पर संस्था सचिव एवं संस्था प्राचार्य द्वारा हस्ताक्षरित शिक्षक सूची संलग्न की गई है जो कि मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि एन.सी.टी.ई. द्वारा निर्धारित मापदण्डों के अनुसार संस्थान में नियुक्त शैक्षणिक कर्मचारियों की प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर शिक्षा महाविद्यालय, भोपाल द्वारा हस्ताक्षरित एवं सत्यापित फोटो युक्त स्टाफ सूची दिनांक 29.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा-सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र./887/ डी.एड.सेल/2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, भोपाल की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव

माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,

भोपाल



माध्यमिक शिक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल
ई-मेल : mpbse @ mp.nic.in वेब साइट : www.mpbse.nic.in
कार्यालय : (0755) 2551650, 2761567 फैक्स - (0755) 2551499, 2552081

क्रमांक / 786 / डी.एड.सेल / 2014
प्रति,

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

प्राचार्य / संचालक
सेंटर फॉर हायर स्टडीज,
एलीमेंट्री टीचर एज्युकेशन डी.एड. कॉलेज,
प्लॉट नं.-89/11, पी.सी. नं.-48/51,
नीमखेड़ा, गौर तिराहा, मण्डला रोड़,
ग्राम सालीवाड़ा, तह. जबलपुर,
जिला-जबलपुर (म.प्र.)-482001

विषय:- डी.एड. संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधित कमी की त्रुटिपूर्ति विषयक।
संदर्भ:- आपके द्वारा प्रस्तुत संबद्धता नवीनीकरण संबंधी आवेदन दिनांक 10.03.2014

विषयान्तर्गत लेख है कि डी.एड. पाठ्यक्रम संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 हेतु आपके संस्थान द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों के परीक्षणोपरांत निम्नानुसार कमियां पाई गई हैं :-

1. आवेदन पत्र के साथ संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के समूह के छायाचित्र संलग्न नहीं किये गये हैं। उक्त के स्थान पर विद्यार्थियों के पासपोर्ट साइज के पृथक-पृथक फोटो ग्राफ की स्कैन कॉपी संलग्न की गई हैं, जो मान्य नहीं है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि संस्थान में अध्ययनरत विद्यार्थियों के संस्थान के समक्ष 25-25 विद्यार्थियों के समूह में लिये गये छायाचित्र दिनांक 25.04.2014 तक अनिवार्य रूप से मण्डल कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित करें। ताकि आपके द्वारा संबद्धता नवीनीकरण सत्र 2014-15 संबंधी प्रस्तुत आवेदन पर समय सीमा में निर्णय लिया जा सके। निश्चित दिनांक तक उक्त कमियों की पूर्ति न किये जाने पर संस्था द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र अमान्य कर संस्था को प्रदान की गई संबद्धता समाप्त करने विषयक कार्यवाही की जा सकेगी।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.,
भोपाल

भोपाल, दिनांक 16/04/2014

पृष्ठांकन क्र. / 787 / डी.एड.सेल / 2014
प्रतिलिपि:-

संभागीय अधिकारी, संभागीय कार्यालय, मा.शि.मण्डल, जबलपुर की ओर प्रेषित कर निर्देश है कि संस्था को उक्तानुसार कमीपूर्ति विषयक जानकारी से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

सचिव
माध्यमिक शिक्षा मण्डल, म.प्र.
भोपाल